न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित– श्री राकेश कुमार–1, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–1003/2009

सीआईएस नं0– 2597/2014

आदेश की तिथिः– 05.09.2026

नागेश कुमार ..... पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. बिहार सरकार
2. नीरा कुमारी,

..... विपक्षीगण।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर सेः– श्री राज कुमार, विद्वान अधिवक्ता

अभियोजन की ओर सेः– श्री अरविन्द्र कुमार, सिंह विद्वान अपर लोक अभियोजक

आदेश

05.09.2026 यह पुनरीक्षण वाद के पुनरीक्षणकर्ता नागेश कुमार के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/399 के अंतर्गत श्री राजीव प्रसाद, न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, पटना द्वारा परिवाद वाद संख्या–1221(सी)/2009 में दिनांक 19.06.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा परिवादी की शिकायत पत्र पर पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 379, 506/34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता की हाजिरी है तथा आज नवीन शक्ति पत्र के साथ उसके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आज एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि यह पुनरीक्षण वाद आवेदक की ओर से श्री राजीव कुमार, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, पटना के संज्ञान आदेश दिनांक 19.06.2009 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उनका आगे कथन है कि प्रस्तुत मुकदमा में विपक्षी एवं आवेदक में मधुर संबंध स्थापित हो जाने के कारण विपक्षी द्वारा आगे मुकदमा नहीं लड़ने के कारण अधीनस्थ न्यायालय श्री आशुतोष खेतान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना के द्वारा 03.04.2013 को पारित आदेश से पुनरीक्षणकर्ता को धारा 245 द0प्र0सं0 के तहत दोषमुक्त किया जा चुका है। उनका आगे कथन है कि पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता स्व0 देवनन्दन शर्मा की मृत्यु हो जाने के कारण वाद की सही जानकारी नहीं होने के कारण प्रस्तुत वाद को वापस लेने हेतु सही

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित– श्री राकेश कुमार–1, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–1003/2009

सीआईएस नं0– 2597/2014

आदेश की तिथिः– 05.09.2026

समय पर आवेदन दाखिल नहीं किया जा सका। आवेदक को इस वाद की जानकारी 19.08.2026 को सम्मन मिलने के पश्चात हुई है। अतः निवेदन है आवेदक को इस वाद को वापस लेने की अनुमति देते हुए उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के उपरोक्त कथन का विरोध नहीं किया गया है।

4. उभय पक्षों को सुनने एवं पुनरीक्षणकर्ता की ओर से आज दाखिल आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उसे इस वाद को वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाता है। तद्नुसार इस पुनरीक्षण वाद को भी निष्पादित किया जाता है। कार्यालय इस आदेश की एक प्रति संबंधित विद्वान न्यायालय को प्रेषित करें तथा पुनरीक्षण वाद अभिलेख को रिकॉर्ड रूम में जमा कराएं।

लेखापित एवं सशोधित

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्र न्या0–प्रथम
पटना।
05.09.2026

निर्णय/आदेश की तिथि	05.09.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	–––
अपलोडिंग तिथि	05.09.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक